

**न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)**  
**(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)**

आप.प्रकरण क्र0 431 / 10

संस्थित दि: 25 / 06 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

हरेसिंह पिता दादीसिंह, उम्र 39 साल, जाति गोंड,  
निवासी टिंगीपुर (गोण्डीटोला) थाना मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

**(आज दिनांक— 30 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 354, 323 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है के आंगन में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर करने के आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया व प्रार्थिया के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुन्दरीबाई ने दिनांक 29.04.2010 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह सुबह के 10:00 बजे घर में अकेली थी गांव का हरेसिंह वल्के उसके घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर कमर पकड़ ली और साड़ी खींचने लगा मना किया तो हरेसिंह ने उसके साथ हाथ-मुक्को से दोनों हाथ तथा गाल व होठ में मारा। वह चिल्लाई तो हरेसिंह भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 31 / 10 अन्तर्गत धारा 451, 354, 323 भा.दं.

वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 354, 323 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 354, 323 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी एवं फरियादिया सुन्दरीबाई के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 451 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर करने के आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.04) का कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2010 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थिया सुन्दरीबाई की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 31/10 अन्तर्गत धारा 451, 354, 323 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता लक्ष्मीचंद पटले (अ.सा.06) का भी कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2010 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 31/10 की डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी सुन्दरीबाई की निशादेही पर घटनास्थल का

नजरी नक्शा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी से एक टेरीकाट की चौखड़ी लाईन वाली आसमानी कलर की शर्ट गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी हरेसिंह को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। विवेचना के दौरान प्रार्थी सुन्दरीबाई साक्षी कोमल, रामप्रसाद, देवेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

**(08)** अभियोजन साक्षी/डॉ.एल.एन.एस. उइके (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 29.04.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए सुन्दरीबाई पति ज्ञानसिंह, उम्र 30 साल निवासी टिंगीपुर का चिकित्सीय परीक्षण कंटूजन अनियमित आकार लिये हुये जो उपरी दांये भाग में स्थित था तथा कटा फटा घाव अनियमित आकार का थ, जो उसके दांये कोहनी के जोड़ में होना पाया था। आहत को आई चोटे किसी बोथरी एवं कड़ी वस्तु से पहुंचाना प्रतीत हो रही थी, चोटे साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

**(09)** अभियोजन साक्षी/फरियादिया सुन्दरीबाई (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन-चार साल पुरानी मलाजखण्ड उसके घर के आंगन की है। आरोपी ने दिन के 10:00 बजे उसके घर आया और उसके पति के संबंध में पूछताछ कर उससे विवाद करने लगा तथा गालियां देने लगा व आरोपी ने उसमें ढक्का मारकर उसे गिरा दिया जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल/हमला किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है।

**(10)** अभियोजन साक्षी रामप्रसाद (अ.सा.03) एवं देवेन्द्र (अ.सा.02) तथा साक्षी कोमल (अ.सा.01) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और आरोपी द्वारा फरियादिया सुन्दरीबाई को दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर कने के

आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया इससे स्पष्ट इन्कार किया।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादिया सुन्दरीबाई ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है। फरियादिया सुन्दरीबाई एवं साक्षी रामप्रसाद (अ.सा. 03) एवं देवेन्द्र (अ.सा.02) तथा साक्षी कोमल (अ.सा.01) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने पुलिस को कोई भी कथन दिये जाने से स्पष्टरूप से इन्कार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादिया तथा साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.04) का कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2010 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थिया सुन्दरीबाई की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 31/10 अन्तर्गत धारा 451, 354, 323 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता लक्ष्मीचंद पटले (अ.सा.06) का भी कहना है कि उसने दिनांक 29.04.2010 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 31/10 की डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी सुन्दरीबाई की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी से एक टेरीकाट की चौखड़ी लाईन वाली आसमानी कलर की शर्ट गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी हरेसिंह को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। विवेचना के दौरान प्रार्थी सुन्दरीबाई साक्षी कोमल, रामप्रसाद, देवेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(14) अभियोजन साक्षी/डॉ.एल.एन.एस. उइके (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 29.04.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए सुन्दरीबाई पति ज्ञानसिंह, उम्र 30 साल निवासी टिंगीपुर का चिकित्सीय परीक्षण कंटूजन अनियमित आकार लिये हुये जो उपरी दांये भाग में स्थित



था तथा कटा फटा घाव अनियमित आकार का थ, जो उसके दांये कोहनी के जोड़ में होना पाया था। आहत को आई चोटे किसी बोथरी एवं कड़ी वस्तु से पहुंचाना प्रतीत हो रही थी, चोटे साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(15) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादिया सुन्दरीबाई (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन-चार साल पुरानी मलाजखण्ड उसके घर के आंगन की है। आरोपी ने दिन के 10:00 बजे उसके घर आया और उसके पति के संबंध में पूछताछ कर उससे विवाद करने लगा तथा गालियां देने लगा व आरोपी ने उसमें ढक्का मारकर उसे गिरा दिया जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल/हमला किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है।

(16) अभियोजन साक्षी रामप्रसाद (अ.सा.03) एवं देवेन्द्र (अ.सा.02) तथा साक्षी कोमल (अ.सा.01) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और आरोपी द्वारा फरियादिया सुन्दरीबाई को दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर कने के आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया इससे स्पष्ट इन्कार किया।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी हरेसिंह ने दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर कने के आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया यह परिलक्षित नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुन्दरीबाई, रामप्रसाद, देवेन्द्र, कोमल के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा फरियादिया सुन्दरीबाई को एवं साक्षी रामप्रसाद, देवेन्द्र, कोमल को

पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 29/04/2010 को दिन के 10:00 बजे ग्राम टिंगीपुर गोण्डीओला आरक्षित केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत प्रार्थिया सुन्दरीबाई की लज्जा का अनादर करने के आशय से कमर पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी हरेसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी हरेसिंह पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा एक टेरिकोट की आसमानी रंग की शर्ट मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)